भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 27–5–1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 18–1–1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 29–6–1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3–7–1972 ई० को प्रकाशित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रवृत्ति

1—(1) यह अधिनियम भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह संघ के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सभी भूमि अर्जन के संबंध में लागू होगा।

अधिनियम संख्या 1, 1894 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्ववर्ती परन्तुक में अभिदिष्ट तीन वर्ष की अवधि की गणना करने में वह समय, जिसके दौरान राज्य सरकार किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके परिणामस्वरूप ऐसी घोषणा करने से निरोधित थी, सम्मिलित नहीं किया जायगा :"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 15–5–1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

धारा 23 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 23 में—

(क) उपधारा (1) में, प्रथम खंड का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दीजाय, अर्थात् :—

"(2) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबंधित किया गया है, न्यायालय हर मामले में ऐसे बाजार मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन के वैवश्यिक प्रकृति होने के फलस्वरूप अधिनिर्णीत करेगा।"

ऐक्ट संख्या 13, 1967 की धारा 4 का संशोधन

4—लैण्ड एक्वीजीशन (अमडमट ऐण्ड वैलीडेशन) ऐक्ट, 1967 की धारा 4 में, उपधारा (2) के अन्त म निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायें और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि उक्त अवधि की गणना करने में वह समय, जिसके दौरान राज्य सरकार किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके परिणामस्वरूप ऐसी घोषणा करने से निरोधित थी, सम्मिलित नहीं किया जायगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि ऐसे हर मामले में जिसमें पूर्ववर्ती परन्तुक लागू हो, उक्त अवधि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के पूर्व समाप्त हुई न समझी जायगी।"

वैधीकरण

5—किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी लण्ड एक्वीजीशन (अमडमट एण्ड वलीडेशन) आर्डिनेंस, 1967 के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गई किसी भूमि के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 6 के अधीन की गयी कोई घोषणा, यदि वह एतद्द्वारा संशोधित लण्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐण्ड वैलीडेशन) ऐक्ट, 1967 की धारा 4 की उपधारा (2) म विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर की गयी हो, इस आधार पर अवैध न समझी जायगी और सदैव से ही अवध न समझी जायगी कि वह उक्त आर्डिनस के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् की गयी थी, और तदनुसार, ऐसी घोषणा के अनुसरण में किया गया कोई अर्जन और ऐसे अर्जन के संबंध में की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश, किया गया अनुबन्ध या प्रकाशित अधिसूचना भी हैं) केवल उक्त आधार पर अवैध नहीं समझा जायगा और कभी भी अवध रहा नहीं समझा जावेगा।

पी० एस० यू०पी०—ए० पी० 139 जनरल (लेग०)—1972—1,834+50।

THE LAND ACQUISITION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. ACT NO. 28 OF 1972)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Bhoomi Arjan (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1972].

AN

ACT

further to amend the Land Acquisition Act, 1894 in its application to Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and application.

1. (1) This Act may be called the Land Acquisition (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall apply in relation to all acquisition of land otherwise than for the purposes of the Union.

(For Statement of Objects and Reasons please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated May 15, 1970.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 27, 1970, and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 18, 1972.)

(Received the Assent of the President on June 29, 1972 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated July 3, 1972.)

Amendment of section 6 of Act I of 1894.

2. In section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* the first proviso thereto, the following proviso shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"Provided further that in computing the period of three years referred to in the preceding proviso, the time during which the State Government was prevented by or in consequence of any order of any court from making such declaration shall be excluded."

Amendment of section 23.

3. **In section 23 of the principal Act,—**

(*a*) **in sub-section (1), the explanation to the first clause shall be *omitted*;**

(*b*) ***after*** **sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted* namely :**

"(2) In addition to the market-value of the land as above provided, the court shall in every case award a sum of fifteen per centum on such market-value in consideration of the compulsory nature of the acquisition."

Amendment of section 4 of Act 13 of 1967.

4. In section 4 of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Act, 1967, in sub-section (2), at the end, the following provisos thereto shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :

"Provided that in computing the said period, the time during which the State Government was prevented by or in consequence of any order of any court from making such declaration shall be excluded :

Provided further that in every case where the preceding proviso is applicable, the said period shall be deemed not to expire before the expiration of three months from the commencement of the Land Acquisition (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1970."

Validation.

5. Notwithstanding, any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, no declaration made before the commencement of this Act under section 6 of the principal Act in respect of any land which had been notified before the commencement of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance, 1967, under sub-section (1) of section 4 of the principal Act, if it was made within the period specified in sub-section (2) of section 4 of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Act, 1967, as hereby amended, shall be deemed to be or ever to have been invalid on the ground that it was made after the expiry of two years from the commencement of the said Ordinance, and accordingly, no acquisition in pursuance of such declaration, and no action taken or thing done (including any order made, agreement entered into or notification published), in connection with such acquisition, shall be deemed to be or ever to have been invalid merely on the said ground.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 140 ज० (लेग०)—1972—1,852+50 (मे०)।